न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 150 / 2018 / 225 आरटीए

1. जमना देवी पत्नि रामचन्द्र जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. श्राजाराम उर्फ रज्जीराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.11.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 09 / 2016 अनवानी भादरराम आदि बनाम स्टेट

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री सोहनलाल सहारण अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांक –12.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए प्रस्तुत किया कि चक 6 केडीडी के प.न. 94 / 44 मु.न. 7 कि.न. 1, 10, 20, 21 मे उतर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत है व प.न. 94 / 51 के कि.न. 21 ता 25 मे पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुदा रास्ता है, उक्त दोनो रास्तो का मिलान प.न. 94 / 43 मु.न. 2 के कि.न. 21 ता 25 मे रास्ते से होता है। प.न. 94 / 43 मु.न. 2 कि.न. 22 / 0.152, 23 / 0.215, 24 / 0.228, 25 / 0.228 है0 भूमि जमनादेवी पत्नि रामचन्द्र अपीलांटा के नाम व कि.न. 21 / 0.114 है0 भूमि जुगलाल, रूपराम, कृष्ण, ओमप्रकाश पिसरान देदाराम एवं गोविन्द पुत्र रावताराम, शांति देवी पत्नि राजाराम, अन्नु देवी पत्नि रामेश्वर के नाम दर्ज है व प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते स्वीकृत होने से दो रास्तो का मिलान होता है। इस कारण प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे

Web Copy - Not Official

उक्त रास्ता का अंकन करवाने का अधिकारी है जिस पर दिनांक 29.11.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित कर प.न. 94/43 मु.न. 2 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक मे 0.025 है0

2.

3. अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अपीलांट का जवाब आने के उपरांत व तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट लेने के उपरांत पत्रावली कैम्प लीलावाली मे ले जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश मे रास्ता स्वीकृत किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 व 4 लघु काश्तकार है। प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत होने के कारण अपीलांट की भूमि के दो टुकडे हो जायेगें। वर्तमान मे दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान चल रहे थे जिससे प्रकरण मे कोई भी आगामी पेशी नही दी गई थी तथा न ही अपीलांट के अधिवक्ता या अपीलांट को पत्रावली अभियान मे लेकर जाने की किसी प्रकार की सूचना दी गई थी। अपीलांट या अपीलांट के अधिवक्ता को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो प्रकृति के न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत है, जैसा कि अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है कि अपीलांट के अधिवक्ता या अपीलांट की उपस्थिति नही लगाई गई। राजस्व अभियान मे मात्र जिन प्रकरणों मे पक्षकारान की सहमति व राजीनामा के प्रकरण का ही निस्तारण किया जाता है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को अनदेखा कर अपीलांट की सहमति के बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत होकर एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो काबिले खारिज है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे रास्ते मे आई भूमि के ऐवज मे उतनी ही भूमि या उक्त आराजी का बाजार भाव जो

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 व 4 उचित समझे देने के तथ्य अंकित किये लेकिन विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर रास्ता स्वीकृत कर दिया व रास्ते के ऐवज मे डीएलसी दर के अनुसार पैसे जमा करवाने के आदेश जारी कर दिये जबकि रेस्पो0 सं. 1 व 2 रास्ते मे आई भूमि के ऐवज मे कृषि भूमि देने के लिए तैयार थे तो कृषि भूमि के आदेश दिये जाने चाहिए थे। अपीलांट की कृषि भूमि के दो टुकडे करने की नियत से विचारण न्यायालय के समक्ष कि.न. 21 मे रास्ते की मांग की जिस बाबत अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 व 4 द्वारा असहमति दी गई, अगर रेस्पो0 सं. 1 व 2 प.न. 156 / 198 मु.न. 19 के कि.न. 23 मे अपीलांट की भूमि के एक सिरे से रास्ते की मांग करते व रास्ते मे आई भूमि के ऐवज मे अपीलांट की भूमि के साथ चिपती हुई उतनी ही भूमि या बाजार भाव जो 15,00,000 / — रू0 प्रतिबीघा के हिसाब से पैसे अदा करते तो इस बाबत अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 व 4 सहमत थे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016—17 पेज 568, डीएनजे 2018 पेज 36 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए चक 3 एमएमके के प.न. 156 / 198 मु.न. 19 के कि.न. 21 / 0.013 है0 पत्थर लाईन के साथ साथ उतर से दक्षिण यानि 165 गुणा 8.25 फीट रास्ता स्वीकृत किया गया है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 को अपने खेत मे जाने के लिए मौका पर कोई स्थाई रास्ता नही है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट का यह कथन कतई मिथ्या है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 अपीलांट की भूमि के दो टुकडे करने पर आमादा हो। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.18 की क्रियान्विती हो चुकी है तथा राजस्व रिकार्ड मे भी आदेश की पालना मे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रश्नगत रास्त का अंकन हो चुका है तथा दिनांक 29.05.18 को मौका पर रास्ता खुलवाया जाकर चालू है जिससे रेस्पो0 आवागमन कर रहे है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन मे तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमे यह अंकित किया गया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 को रास्ता की आवश्यकता है तथा प्रश्नगत रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। पक्षकारान/अप्रार्थी रास्ते देने हेतु सहमत नही है। इस प्रकार यह साबित होता है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 को अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता की परम आवश्यकता है तथा प्रश्नगत रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही एवं विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की गई जो प्रारम्भतः खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपीलांट/अप्रार्थी की भूमि चक 3 एमएमके के प.न. 156/198 मु.न. 19 के कि.न. 21/0.013 है0 रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया। अपीलांट/अप्रार्थी हाजिर आकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मे रखी जाकर एकपक्षीय तौर पर अपीलांट को बिना सुने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जबकि आरआरटी 2016-17 पेज 566 न्यायिक दृष्टांत के अनुसार किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत मे एकपक्षीय रूप से बिना सहमति होते हुए पत्रावली का निस्तारण करते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलांट के कथनानुसार प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था जो अपीलांट की भूमि के कि.न. 23 मे से स्वीकृत किया जा सकता था तथा उक्त कि.न. 23 मे रास्ता स्वीकृत करने हेतु एवं रास्ता भूमि ऐवज मे चिपती हुई उतनी ही भूमि दिये जाने पर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 व 4 सहमत थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये कैम्प कोर्ट मे प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रभावित पक्षकार को सुने पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर वैकल्पिक रास्ता के संबंध मे भी मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। प्रकरण का निस्तारण होने तक अपीलांट की खातेदारी भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 व 2 दखलअंदाजी नही करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय आज दिनांक 13.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण यथासम्भव दो माह मे किया जाना सुनिश्चित करें। अपील की दिनांक से रास्ता पूर्व चालू है तो प्रकरण का निस्तारण होने तक रास्ता चालू रहेगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official